फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भवानीशंकर जोशी निवासी धनवन्त परिवार, राजकीय विद्यालय के पास, पो. टीकड़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द पिन कोड 313332

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 अनुभाग कलेक्ट्रेट राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 86/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29.01.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक/विविध/2023/2579 दिनांक 12.12.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना इस कार्यालय के क्षैत्राधिकार का नही होकर उपखण्ड कार्यालय आमेट से संबंधित हैं। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से जरिये क्रमांक/ सूचना का अधिकार/2023/317–318 दिनांक 15.12.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 अनुभाग कलेक्ट्रेट राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम टीकड़ पटवार मण्डल खाखरमाला तहसील आमेट के खसरा संख्या 1494, 1496, 1497, 1498 जमीन वर्ष 1987 को आवंटन संबंधित दस्तावेज सहित सूचना चाही गयी है। आवंटन सम्बन्धित पत्रावलियॉ इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने से उपखण्ड अधिकारी आमेट को आवेदन भिजवाया जा रहा हैं। इस कार्यालय में ग्राम टिकड के खसरा संख्या 1494, 1496, 1497, 1498 का सेटलमेन्ट सम्वत 2032 खसरा भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) उपलब्ध हैं, जो तैयार कर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थी के पत्ते पर भिजवाया जा रहा हैं। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 अनुभाग कलेक्ट्रेट राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक	

सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट तथा प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 अनुभाग कलेक्ट्रेट राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 अनुभाग कलेक्ट्रेट राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद